किया जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है। यदि विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजीयात के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किया जाना न्यायोचित है।

अतः विपक्षीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विपक्षीगण आगामी पेशी तारीख तक वादग्रस्त आराजीयात वाके मौजा मेवासा प0ह0 अरनोदा तहसील निम्बाहेडा में स्थित आराजी न0 54 रकबा 0.2500 हैक्टयर एवं आराजी न0 55 रकबा 0.1100 है0 कुल किता–2 कुल रकबा 0.3600 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की भूमि में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करें एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें न करावें। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगणों की तामिल रजिस्टर्ड डाक से करवाई जावे।। विपक्षीगणों को कोई एतराज हो तो वे अपना पक्ष/जबाब दिनांक 05.07.2023 को उपस्थित होकर पेश करें। विपक्षीगणों को हुक्म ईम्तनाई चन्दरोजा जारी हो। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 39 नियम 3 की पूर्णतः पालना की जावें। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 05.07.2023 को पेश हो।

5/7/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 से 3 स्वयं उप.। वकील प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 ने प्रकरण में नॉट प्रेस किया है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण विपक्षीगणों की तामील में नियत है। अतः प्रकरण नॉट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Not Press
प्रा. पत्र नहीं चलाना चाहते हैं
[illegible] उपस्थित है
[illegible]
अधिवक्ता

5/7/23

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:10:18 IST
Reason: SelfAttested